4. गर्भसमापन कराने के लिए किसकी राय आवश्यक है ?

बारह सप्ताह तक के गर्भसमापन हेतु एक पंजीकृत चिकित्सक की राय लेना आवश्यक है तथा 13 से 20 सप्ताह तक के गर्भसमापन हेतु दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय लेना आवश्यक होता है।

5. गर्भसमापन कराने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है ?

कानून के अनुसार गर्भसमापन कराने के लिए केवल महिला की अनुमति आवश्यक है।

महिला स्वेच्छा से पति, परिवार, साथी या अन्य किसी की सलाह ले सकती है परन्तु गर्भसमापन कराना उसका स्वयं का फैसला है, अतः कागजों में केवल महिला को हस्ताक्षर करना या अंगूठा लगाना होता है। यदि महिला नाबालिग (18 वर्ष से कम) है या मानसिक रोगी है तो उसके अभिभावक को अनुमति देनी होती है।

6. क्या अविवाहित महिला, विधवा या तलाकशुदा महिला गर्भसमापन करा सकती है ? किन परिस्थितियों में व किसकी अनुमति से गर्भसमापन करा सकती है ?

हां, चिकित्सीय गर्भसमापन कानून के अन्तर्गत अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला गर्भ समापन करा सकती है। महिला की स्वयं की सहमति ही पर्याप्त है। यदि अविवाहित महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति की आवश्यकता नही हैं कानून में दी गई परिस्थितियों में से केवल एक परिस्थिति (विवाहिता या उसके पति द्वारा प्रयुक्त गर्भ निरोधक साधन विफल हो गया हो) के अलावा, बाकी परिस्थितियों में अविवाहित महिला का गर्भसमापन कराया जा सकता है।

7. कानूनी गर्भसमापन कहां करवाया जा सकता है ?

सरकार द्वारा स्थापित अथवा संचालित अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में गर्भसमापन कराया जाना मान्य है।

अर्थ उदयपुर

8. निजी अस्पतालों को गर्भसमापन कानून के अन्तर्गत पंजीकृत करने की क्या प्रक्रिया है ?

सन् 2002-2003 में हुए संशोधन के मुताबिक गर्भसमापन करने वाले स्थान को पंजीकृत करने का प्राधिकार जिला स्तरीय एमटीपी समिति[1] को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

- जो निजी अस्पताल गर्भसमापन के लिए पंजीकृत होना चाहते हैं, उन्हे 'प्रपत्र ए' में स्थान अनुमोदन के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवेदन देना होता है। संशोधित नियमों के अनुसार 12 सप्ताह तक गर्भसमापन सेवा देने वाले स्थानों तथा 20 सप्ताह तक सेवा देने वाले स्थानों के अनुमोदन की प्रक्रिया भिन्न है।
- आवेदन मिलने पर जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ अधिकारी निरीक्षण करेगें। यदि मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ अधिकारी सत्यापन व निरीक्षण के बाद संतुष्ट हैं तो वे जिला एमटीपी समिति के समक्ष उस स्थान के अनुमोदन की सिफारिश करेगें। समिति आवेदन व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के आधार पर संतुष्ट होने पर 'प्रपत्र - बी' के रूप में अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करवाएगी।
- यह प्रमाण पत्र चिकित्सा संस्थान मे एसी जगह पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहाँ आने वाले लोगों को आसानी से दिख सके।

9. चिकित्सीय गर्भसमापन कौन कर सकता है ?

सभी चिकित्सक गर्भसमापन नहीं कर सकते। कानूनन सिर्फ निम्न चिकित्सक जिन्होने एम.बी. बी.एस डिग्री प्राप्त की हो, ही गर्भ समापन करा सकते है :

- एम.डी., एम.एस., डी.जी.ओ. (स्नातकोत्तर स्त्री-रोग विशेषज्ञ)
- स्त्री एवं प्रसूति विज्ञान में 6 माह निवासी डॉक्टर के रुप में काम करने पर
- एमटीपी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक

अन्य चिकित्सा पद्धति द्वारा प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्स, दाई, दवाई विक्रेता आदि गर्भसमापन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

10. गर्भसमापन कानून के प्रावधानों की अनुपालना न करने का क्या परिणाम है ?

यदि गर्भसमापन एक अपंजीकृत / अप्रशिक्षित व्यक्ति करता है, या फिर किसी ऐसे स्थान पर गर्भसमापन किया जाता है जो कि सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो कम से कम 2 साल व अधिकतम 7 साल तक का कठोर कारावास तय हो सकता है।[2]

---

1. समिति का अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, एक सदस्य स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ/शल्य चिकित्सक/एनेस्थेटिस्ट होता/होती है व अन्य सदस्य स्थानीय चिकित्सकों, गैर सरकारी संगठन और पंचायती राज संस्थाओं से होते है। समिति में कम से कम एक सदस्य महिला अवश्य होनी चाहिए।

2. उपरोक्त शर्त केवल एक ही स्थिति में लागू नहीं होती जब महिला की जान खतरे में हो और उसकी जान बचाने के लिए गर्भसमापन किसी गैर पंजीकृत स्थान पर किया जाए या बिना विशेष प्रशिक्षिण के चिकित्सक के द्वारा किया जाए। इस स्थिति में गर्भसमापन कराने वाले पर किसी प्रकार का मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अर्थ उदयपुर

11. महिला के गर्भसमापन की जानकारी किसे मिल सकती है ?

गर्भसमापन की जानकारी कानूनन गोपनीय होती है, इसलिए संबंधित चिकित्सक व उनके अस्पताल के कर्मचारीयों को गर्भसमापन की जानकारी गोपनीय रखनी होती है। इसका मतलब यह भी है कि पति या परिवारगण को अस्पताल से गर्भसमापन की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नही है।

- गर्भसमापन के 3 घण्टे के अन्दर चिकित्सक / चिकित्सकों को अपनी राय लिखित रूप में फॉर्म 1 में देनी होती है।
- इसलिये फॉर्म 1, अनुमती फॉर्म C व प्रविष्टि रजिस्टर या फॉर्म 3 सभी गोपनीय दस्तावेज है। जिन दस्तावेजों पर महिला के नाम व पहचान संबंधी जानकारी दी गयी है, कानूनी रूप से प्राधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, के अलावा उन्हे किसी के समक्ष निरीक्षण के लिए नहीं लाया जाएगा।

12. गर्भसमापन के लिए पंजीकृत संस्थानों को क्या रिपोर्ट भेजनी होती है ?

पंजीकृत संस्थान द्वारा प्रति माह फॉर्म 2 में संख्यात्मक जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजनी होती है। इसके अलावा कोई अन्य फॉर्म या महिला का नाम या उससे संबंधित अन्य विवरण नहीं भेजना होता है।

13. औषधीय गर्भसमापन कौन करा सकता है व कहाँ ?

पंजीकृत चिकित्सक अपने क्लीनिक पर गर्भसमापन के लिये गोलियां दे सकते हैं परन्तु, उनके क्लीनिक का औपचारिक सम्पर्क किसी ऐसे स्थान से होना चाहिये, जो कि चिकित्सीय गर्भसमापन कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो। चिकित्सक की लिखित सलाह / पर्ची के बगैर गर्भसमापन की गोलियां देना गैर कानूनी है। इसका मतलब यह है कि अपंजीकृत चिकित्सक, दवाई विक्रेता, नर्स, इत्यादि गर्भसमापन की गोलियां स्वयं के निर्णय पर नही दे सकते।

अर्थ

772, फतेहपुरा, उदयपुर 313004, राजस्थान, www.arth.in

सहयोग : SIDA (Swedish International Development Agency)

चिकित्सीय गर्भसमापन कानून (MTP Act) के बारे में...

1. चिकित्सीय गर्भसमापन कानून क्यों बनाया और कैसे बनाया गया ?

1971 से पूर्व भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत गर्भसपापन को अपराध माना जाता था। इसके

अनुसार महिला व गर्भसमापन करनेवाला, दोनों ही सजा योग्य माने जाते थे। यह केवल एक ही परिस्थिति में मान्य था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि महिला का गर्भसमापन उसके जीवन की रक्षा के लिए उसके हित में किया गया।

असुरक्षित एवं गैरकानूनी गर्भसमापन का मातृ स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पहली बार 1964 में गर्भसमापन का मुद्दा केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की बैठक में उठाया गया। नतीजन एक ग्याराह सदस्यीय टीम का गठन किया जिसे 'शान्तिलाल शाह समिति' के नाम से जाना गया। समिति के प्रस्तावों के आधार पर 'चिकित्सीय गर्भसमापन कानून' (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) बनाया गया, जिसे संसद ने 1971 में पारित किया। कानूनी अपेक्षाओं की चिकित्सकों द्वारा अनुपालना किए जाने पर यह कानून उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है।

2. गर्भसमापन कितनी अवधि तक कराया जा सकता है ?

गर्भधारण के बीस सप्ताह तक गर्भसमापन कानूनी रूप से कराया जा सकता हैं।

3. किन परिस्थितियों में गर्भसमापन कराना कानूनी है ?

कानून के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में महिला गर्भसमापन करा सकती है :

- गर्भ को जारी रखने से महिला की जान को खतरा हो
- महिला के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंच सकती हो
- जन्म लेने वाले शिशु को गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता का खतरा हो
- बलात्कार से गर्भवती होने पर
- विवाहिता या उसके पति द्वारा प्रयुक्त गर्भ निरोधक साधन विफल होने पर

अर्थ उदयपुर